23-12-19

पत्रावली पेश। पैरोकार राज्य उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करते हुए बहस पैरोकार का मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली कार्य के बाद निर्णय सुनाया होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23-12-19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

[signature] 23/12/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी रामावतार कुमावत

---x---

145/2016

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना
प्रार्थी

बनाम

1 दिलपुनीत सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जट सिख साकिन ज्वाला सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 सुखदेव कौर पत्नी श्री [illegible] सिंह जाति जट सिख ज्वाला सिंहवाला तहसील जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थित :- श्री कृष्ण जाखड़ नायब तहसीलदार 365 हेड.

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 177(1)(अ)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

:: निर्णय ::

दिनांक :- 23-2-19

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177(1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश करके निवेदन किया कि चक 4 केडम के मु.नं. 206/08 वा किला

— लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण 145/2011
रेट 13 दिन दिनांक 16.8.16

1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा किलाबन्दी सिंह पुत्र सुरजनन्दर सिंह जाति जटसिख साकिन उब्बावाली वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम खातेदार दर्ज है एवं चक किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि सुखदेव सिंह s/o सा पुत्र सिंह जाति जटसिख निवासी उब्बावाली सिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम से खातेदार भूमि दर्ज है उक्त भूमि मे अप्रार्थीगण कृषि कार्य ही कर सकता है उक्त भूमि मे अकृषि कार्य नही कर सकता है परन्तु मौका पर उपरोक्त भूमि मे से किला नं. 9, 10, 11, 20 मे अप्रार्थीगण ने अवैध रुप से जिप्सम की खुदाई करके अकृषि कार्य के रूप मे उपयोग लिया गया है इसके लिए उनके द्वारा सक्षम अधिकारी से विधिवत रूप से कोई अनुमति प्राप्त नही करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो का उल्लंघन किया गया है अप्रार्थीगण की की कृषि भूमि राजकीय भूमि मे समायोजित किये जाने निवेदन किया प्रकरण दर्ज करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी के बावजूद उनके द्वारा न्यायालय मे लिखित आपत्ति दर्ज करवाकर वाद मे कोई प्रति उत्तर नही ~~दिया~~ दिया जाकर वाद मे न्यायालय मे हाजिर भी नही आये जिस पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई। पैरोकार राज की मौखिक बहस सुनी गई और उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल मिसल की गई।

लिखित बहस में पैरोकार राज ने दर्ज किया की विवादित कृषि भूमि जो कि अप्रार्थीगण को

—लगातार—3

प्र०क० 105/2018

कृषि कार्य के लिए आवंटित की गई थी को अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि अवैध निर्माण का खनन करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की ~~धारा 177~~ उल्लंघन किया है ऐसी स्थिति अप्रार्थीगण के विरुद्ध राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (1) (अ) के तहत कार्यवाही करते हुये उनके नाम की भूमि को राज्य सरकार में शामिल किया जावे का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने तथा मौखिक और लिखित बहस का मनन करने पर प्रस्तुत प्रकरण के अप्रार्थीगण के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की विधिवत रूप से लिखित प्रशासन की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन कार्य किया जाना पाया जाता है ऐसी स्थिति प्रार्थीगण तहसीलदार (राजस्व) मकराना का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 (1) (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व) मकराना के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) (अ) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार करके प्रार्थना पत्र की कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

लगातार 4-

— 4 —

प्रकरण 145/2016

खसरा 4 के क्रम का प्र०नं० 206/08 के किता नं० 1 व 25 की 6-325 हैक्टयर कृषि भूमि जो कि अराजकीय व्यक्ति पुनीत सिंह व सुखदेव सिंह के नाम से दर्ज है को रकबा राज घोषित किया जाता है। तहसीलदार घड़साना उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अराजकीय व्यक्ति के नाम से हटाकर रकबा राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें और उक्त भूमि का कब्जा नियमानुसार वक्त सरकार लेकर यह सुनिश्चित करें कि उक्त भूमि से अवैध खनन नियम का खनन की कार्यवाही भविष्य में नहीं हो। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को पालनार्थ प्रेषित है।

आदेश आज दिनांक 23-12-2019 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

23/12/19

(रामावतार कुमावत)
R.A.S.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: